राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दवाओं का क्रय नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये इण्डेन्ट एवं बजट के आधार पर दवाओं का क्रय उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड (यू0पी0एम0एस0सी0एल0) द्वारा ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन (यू0पी0एम0एस0सी0एल0) के माध्यम से जनपद अमेठी में वर्ष 2019-20 में कुल रू0 2,86,00,985.00 तथा वर्ष 2020-21 में रू0 9,22,243.00 की औषधियॉ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमेठी को प्राप्त करायी जा चुकी हैं।

उपरोक्तानुसार विवरण की 05 प्रतियॉ मा0 सभापति, विधान परिषद के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ/उपयोगार्थ रख दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्य मंत्री,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।